संख्या-15/2902/71-2-14-17/93

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2014**

विषय- रेजीडेंसी योजना के जूनियर रेजीडेन्टस के पदों को आस्थगित करते हुए डिमांस्ट्रेटर के सृजित पदों की निरन्तरता बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1निरं0/14, दिनांक 06-06-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4701/सेक-14/पांच-93-17/93 दिनांक 05-08-1993 द्वारा सृजित पदों, जिनके चलते रहने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-664/71-2-13-17/93 दिनांक 17 अप्रैल, 2013 द्वारा दिनांक 28-02-2014 तक की प्रदान की गयी थी, के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार कुल 42 पदों को वर्ष 2014-15 (दिनांक 28-2-2015) तक चलते रहने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। यह स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते है कि इन्हें किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है अथवा शासन द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन/पुनरीक्षण किया जा सकता है।

2- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के लेखा शीर्षक अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति-03-शिक्षा-38-स0ना0 मेडिकल कालेज, आगरा-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-39-जी0एम0बी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर-43-बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर-42-एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी-41-ला0ला0रा0स्मा0 मेडिकल कालेज, मेरठ में रेजीडेंसी योजना का कार्यान्वयन तथा छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को दिये गये प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2902(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/झांसी/गोरखपुर/मेरठ।
4. कोषाधिकारी, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/झांसी/गोरखपुर/मेरठ लखनऊ।
5. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त (वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-15/2902/71-2-2014-17/1993 दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

क्र0	विशेषज्ञता	कालेजवार पदों की संख्या							
		लखनऊ	कानपुर	आगरा	इलाहाबाद	मेरठ	झाँसी	गोरखपुर	योग
1	बायोकैमेस्ट्री	2	2	2	2	2	2	2	14
2	माइक्रोबायोलाजी	0	2	2	2	2	2	1	11
3	फोरेन्सिक मेडिसिन	0	0	0	0	1	1	1	3
4	ई0एन0टी0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	0	0	0	0	1	1	1	3
6	स्किन एण्ड बी0डी0	0	1	0	1	0	1	0	3
7	साइक्याट्री	0	1	0	1	1	1	1	5
8	डेण्टल सर्जरी	0	0	0	0	0	0	1	1
योग:-									**42**

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।